UPUN010035432026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट, कोर्ट सं0–4, उन्नाव।
पीठासीन अधिकारी–श्री रामराम II, (उच्चतर न्यायिक सेवा) .UP06491
जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1486/2026

दीपक बनाम राज्य
अपराध सं0–536/2022
धारा–138(1)बी भारतीय विद्युत अधिनियम,
थाना–एंटी पावन थेफ्ट थाना उन्नाव, जिला उन्नाव

दिनांक–12.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त दीपक की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र अपराध सं0 536/2022 धारा 138(1)बी भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना एंटी पावन थेफ्ट थाना उन्नाव, जिला उन्नाव के मामले में जमानत पर रिहा करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि आज दिनांक 29.04.2022 दिन शुक्रवार को मैं संतोष कुमार यादव अवर अभियन्ता 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मियागंज उन्नाव मय टीम श्री गिरीश कुमार टी०जी०–2, संविदा कर्मी श्री वारिस खां, संविदा कर्मी श्री रजनीश कुमार समय के साथ उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार समय लगभग सायंकाल 15.35 बजे से 17.00 बजे तक ग्राम शास्त्रीय नगर रसूलाबादमियागंज जिला उन्नाव में विद्युत चोरी रोकने हेतु अवैध विद्युत संयोजन को चेक किया। एकीकृत जाँच प उपभोक्ता श्री दीपक (उम्र लगभग 47 वर्ष, मो० नं0–7897468598) पुत्र श्री रमेश के परिसर पर जुड़े विद्युत संयोजन की चेकिंग की गयी तो पाया उपरोक्त परिसर पर विद्युत संयोजन सं0–731800387145 है जिसे दिनांक 02.04. 2022 को रू0 32921.00 बकाये पर विच्छेदित कर दिया गया था। मौके पर उक्त उपभोक्ता के द्वारा विद्युत संयोजन एल०टी० लाइन से कटिया जोड़कर बिना विद्युत बकाया धनराशि जमा किये अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपभोग करते पाये गये। मौके पर उपभोक्ता के परिजनों से विद्युत बकाया के जमा सम्बन्धी प्रपत्र मांगने पर कोई प्रपत्र नही दिखाये गये। उक्त उपभोक्ता का यह कृत्य विद्युत अधिनियम 2003 संशोधित 2007 की धारा 138–बी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व में बकाये पर विच्छेदित विद्युत संयोजन का बिना बकाये बिल का भुगतान किये अवैध रूप से पुनः एल०टी० लाइन से कटिया लगाकर विद्युत उपयोग कर रहे उपरोक्त उपभोक्ता श्री दीपक (उम्र लगभग 47 वर्ष, मो० नं0–7897468598) पुत्र श्री रमेश ग्राम शास्त्रीय नगर रसूलाबाद थाना आसीवन जिला उन्नाव के विरूद्ध अधिनियम 2003 की धारा 138–बी के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करें जिसमें प्रार्थी को होना कहा गया है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में कथन किया गया है कि, प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज मुकदमा पूर्णतयः झूठा व फर्जी है प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की बिजली चोरी नही की गई है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी द्वारा समस्त बकाया शुल्क पूर्व में जमा किया जा चुका था। किन्तु विद्युत विभाग द्वारा रंजिश अब प्रार्थी का भारी भरकम धनराशि का बिल भेज दिया गया, महज वादी मुकदमा द्वारा फर्जी तरीके से प्रार्थी के उपरोक्त वाद में

फंसाया गया है। प्रार्थी का समाज में काफी अच्छा व्यवहार है। प्रार्थी से किसी भी प्रकार से बिजली चोरी नहीं की है और न ही संयोजक को जोड़ा है बल्कि वादी मुकदमा द्वारा फर्जी तरीके से दर्ज कराया गया है। प्रार्थी पर लगाये गये आरोप मिथ्या है। प्रार्थी को दौरान मुकदमा सुनवाई जमानत पर रिहा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी एक अच्छा समाजिक व्यक्ति है। प्रार्थी अपने परिवार का भरण पोषण मेहनत मजदूरी करके करता है। प्रार्थी निर्दोष है। यह प्रार्थी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इससे पहले न ही इस न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र दिया है और न ही खारिज है। और न ही विचाराधीन है। प्रार्थी दौरान मुकदमा न भागेगा, न गवाहान सबूत को तोड़ेगा और न ही उन पर कोई बेजा असर डालेगा। प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित जमानत की समस्त शर्तों का अनुपालन करेगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

4– विशेष लोक अभियोजन के द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

5– विशेष लोक अभियोजक व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6– पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त आत्मसमपर्ण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि उसके द्वारा समस्त बकाया शुल्क पूर्व में जमा किया जा चुका है। अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर था। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7– अतः ऐसी स्थिति में उभयपक्षों के तर्कों, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त दीपक का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1486/2026, मु0अ0सं0–536/2022, धारा–138 (1) बी. भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना एंटी पावन थेफ्ट थाना उन्नाव, जनपद–उन्नाव स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त को मु0–20,000 रूपये का निजी बंधपत्र तथा समान राशि की दो प्रतिभू तथा इस आशय कि अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जावे कि–

1– अभियुक्त वाद के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग देगा और दौरान विचारण वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हो कोई स्थगन नहीं लेगा, यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– अभियुक्त न्यायालय के समक्ष आरोप एवं बयान अन्तर्गत धारा 313 दर्ज किये जाने हेतु नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अवश्य उपस्थित रहेगा।

दिनांक–12.06.2026

(रामराज II)
विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट,
कोर्ट सं0–4, उन्नाव।